–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव,
राजस्व प्रकरण संख्या :– 132/2012

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरधन जाति ढोली निवास ग्राम केसरपुरा, नसीराबाद(मृतक जरिये वारिस)

–– वादी :– जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––––– प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 29.11.24

उक्त प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ है कि प्रकरण में साक्ष्य व जवाब के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केसरपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 449, वंर्किग खसरा नम्बर 542/862 रकबा 0.81 के हाल खसरा नम्बर 480 रकबा 0.81 की आराजी वादी को दिनांक 24.06.1965 को आवंटित हुयी थी। आवंटन दिनांक से ही उक्त आराजी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आवंटन का अंकन चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 206 में किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक अंकित कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेन किया कि खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2027 में वादी गैर खातेदार दर्ज है किन्तु आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण भूमि सिवासचक दर्ज है। वादी के नाम आवंटन आदेश का राजस्व अभिलेख में अंकन नही है। वादी के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही कर समय–समय पर बेदखल किया गया है। सिवायचक भूमि पर खातेदारी दिया जाना राजहित में उचित नही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवत आवंटित हुयी ?

–– वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:16 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. आया आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने व वादी का कब्जा काश्त नही होने से वाद खारिज योग्य है।

— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी लक्ष्मीनाराण व गवाह हरि का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:—

ग्राम केसरपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 449 में चौसाला जमाबी सम्वत् 2023 से 2026 में उक्त खसरा नम्बर के आगे वादी के नाम आवंटन का नोट अंकित है। किन्तु उक्त नोट किसी नामान्तकरण से दर्ज नही की सीधे ही अंकित कर दिया है, जिसकी कोई मान्यता नही होने से भूमि वादी को आवंटन होना सिद्व नही होता है। वादी द्वारा पूर्व में व अपीलीय न्यायालय के निर्णय के बाद भी आराजी मुतनाजा के आवंटन के दस्तावेज पेश नही किये है। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा उसे आवंटन होने के कोई अभिलेखिय प्रमाण पेश नही किये है, जबकि उसे साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है। किन्तु तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार स्पष्ट है कि ग्राम केसरपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 449 में चौसाला जमाबी सम्वत् 2023 से 2026 में उक्त खसरा नम्बर के आगे वादी के नाम आवंटन का नोट अंकित है। किन्तु उक्त नोट किसी नामान्तकरण से दर्ज नही की सीधे ही अंकित कर दिया है, जिसकी कोई मान्यता नही होने से भूमि वादी को आवंटन होना सिद्व नही होता है। वादी द्वारा पूर्व में व अपीलीय न्यायालय के निर्णय के बाद भी आराजी मुतनाजा के आवंटन के दस्तावेज पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में

तनकी संख्या 3 :—

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी को आवंटित होना सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से ही सिद्व होता है। सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। वादी का वाद खारिज योग्य है।

उक्तानुसार ग्राम केसरपुरा के हाल खसरा नम्बर 480 रकबा 0.81 व 481 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लक्ष्मीनारायण बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188. 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 132/2012
पेश करने की दिनांक – 06.11.2018

(रिमाण्ड)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम केसरपुरा के हाल खसरा नम्बर 480 रकबा 0.81 व 481 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 11 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:16 IST
Reason: SelfAttested